8-10-25

प्रतीक्षा केस की सुनवाई बार-बार 25-5-25 को दिनांक तारीख दी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुसार मेरी बेटी की उम्र 18 वर्ष से कम है। अतः यह मामला पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। अतः मेरी बेटी की गवाही बंद कमरे में होनी चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी बेटी की गवाही बंद कमरे में होने का आदेश दिया जाए।

धन्यवाद

अपराधी